कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 465/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना रौनापार

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ की **थाना रौनापार पुलिस** द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक **09.09.2025** को वादी द्वारा थाना रौनापार पर सूचना दी गई कि उसकी **नाबालिग** पुत्री विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। उक्त सूचना के आधार पर थाना रौनापार पर **मु0अ0सं0 348/25** धारा **137(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना के दौरान दिनांक **23.12.2025** को पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। पीड़िता के बयान एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 87/64(1) बीएनएस एवं 5G/6 पाक्सो एक्ट** की बढ़ोतरी की गई तथा अभियुक्त **करन कुमार पुत्र छठ्ठू राम**, निवासी ग्राम पदुमपुर नसरुद्दीन पट्टी, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर का नाम प्रकाश में आया।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार** के आदेशानुसार, **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** एवं **क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल निर्देशन में, थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में दिनांक **25.12.2025** को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को **भीमबर नहर पुलिया के पास चौराहे से समय करीब 12.50 बजे** गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए **माननीय न्यायालय** के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

- उ0नि0 रामअनुज शुक्ला, थाना रौनापार
- का0 अमरनाथ शर्मा, थाना रौनापार

प्रेस नोट

थाना – महराजगंज, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत किशोरी का अपहरण करने वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत थाना महराजगंज पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक **08.12.2025** को वादिनी द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी गई थी कि उसकी **15 वर्षीया पुत्री** को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर **मु0अ0सं0 324/25**, धारा **137(2)/87 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार (IPS)** के निर्देशानुसार, **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** एवं **क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल निर्देशन में, अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, **प्रभारी निरीक्षक महराजगंज** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक **24.12.2025** को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **रामप्रसाद मौर्य पुत्र ओमप्रकाश मौर्य**, निवासी ग्राम अवसानपुर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग **19 वर्ष** को **परशुरामपुर तिराहे** से समय करीब **15.40 बजे** गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तारी के दौरान नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए **माननीय न्यायालय** के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनय कुमार यादव
2. का0 दीपक कुमार
3. म0का0 जया द्विवेदी थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना – महराजगंज, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत दुष्कर्म/छल से शारीरिक शोषण के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से थाना महराजगंज पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, मारपीट एवं धमकी देने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक **23.12.2025** को एक पीड़िता द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी गई थी कि अभियुक्त द्वारा विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए तथा विवाह की बात करने पर अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा गाली-गलौज, मारपीट एवं जान-माल की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर **मु0अ0सं0 333/25**, धारा **69/115(2)/352/351(3) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार (IPS)** के निर्देशानुसार, **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** एवं **क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, **प्रभारी निरीक्षक महराजगंज** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक **25.12.2025** को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **चन्दन पुत्र ओंकार**, निवासी ग्राम तोनारी, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब **23 वर्ष** को **बजरंग चौक** से समय करीब **11.10 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे **माननीय न्यायालय** के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य (नेतृत्व)
2. उ0नि0 अशोक कुमार सिंह
3. का0 वीरेन्द्र भारतीया थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक – 25.12.2025
थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़

➡ **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना अहरौला पुलिस द्वारा किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक **05.12.2025** को वादी द्वारा थाना अहरौला पर सूचना दी गई थी कि उसकी **13 वर्षीय पोती** बिना बताए घर से चली गई है। इस संबंध में थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 427/2025**, धारा **137(2)/87 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना के दौरान दिनांक **24.12.2025** को नाबालिग बालिका स्वयं थाना उपस्थित हुई। उसके बयान, चिकित्सीय परीक्षण एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा विवाह का झांसा देकर बालिका को बहला-फुसलाकर घर बुलाया गया तथा उसे जनपद जौनपुर होते हुए अन्य राज्य भेजने का प्रयास किया गया। विवेचना में अभियुक्त **विशाल सिंह उर्फ बादल पुत्र भवानी शंकर सिंह**, निवासी ग्राम सिकौला (सिकहुला), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब **20 वर्ष** का नाम प्रकाश में आया।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** के निर्देशन में दिनांक **25.12.2025** को मुखबिर की सूचना पर थाना अहरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त **विशाल सिंह उर्फ बादल पुत्र भवानी शंकर सिंह**, निवासी ग्राम सिकौला (सिकहुला), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को **अहरौला बाईपास** से समय करीब **10.30 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे **माननीय न्यायालय** के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :
1. उ0नि0 लालबचन राय, थाना अहरौला
2. हे0का0 अजय कुमार पाण्डेय, थाना अहरौला
3. का0 आदर्श प्रसाद शाह, थाना अहरौला

प्रेस नोट
दिनांक – 25.12.2025
थाना – बरदह, जनपद – आजमगढ़

➡ **थाना बरदह पुलिस ने गुमशुदा व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा**
दिनांक **23.12.2025** को थाना बरदह पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अहिरौली निवासी एक व्यक्ति, उम्र लगभग **52 वर्ष**, आजमगढ़ जाने के बाद वापस घर नहीं लौटे हैं। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद भी कोई जानकारी न मिलने पर थाना बरदह पर **गुमशुदगी क्रमांक 68/25** पंजीकृत की गई।

➡ सूचना प्राप्त होते ही थाना बरदह पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदा की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा आसपास के बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य संभावित स्थानों पर सघन खोजबीन की गई।

➡ दिनांक **25.12.2025** को उ0नि0 **रितेश खरवार** एवं उ0नि0 **धर्मदेव यादव** के अथक प्रयासों से गुमशुदा व्यक्ति को **थाना देवगांव क्षेत्र के चिरकिहीट गांव** से **48 घंटे के भीतर सकुशल** बरामद कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत गुमशुदा व्यक्ति को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

➡ अपने प्रियजन की सकुशल बरामदगी पर परिजनों द्वारा **आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार एवं धन्यवाद** व्यक्त किया गया।

प्रेस नोट

थाना – निजामाबाद, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 25.12.2025

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल व दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने एवं दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक **22.12.2025** को एक महिला द्वारा थाना निजामाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त, जो पीड़िता के पति का रिश्तेदार है, उसके घर आने-जाने के दौरान पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया और उसी वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करते हुए जबरन दुष्कर्म करता रहा। दिनांक **20.11.2025** को वीडियो डिलीट करने के बहाने अभियुक्त पुनः घर आया और जबरन दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

➡ उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 413/25**, धारा **64(1), 351(3) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** के निर्देशन में दिनांक **25.12.2025** को थानाध्यक्ष निजामाबाद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **डोडोपुर बाजार** से अभियुक्त **फहद पुत्र कैश अहमद**, निवासी ग्राम मन्दे, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब **25 वर्ष** को समय लगभग **11.50 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक **OPPO मोबाइल फोन** बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे **माननीय न्यायालय/जेल** भेजा गया है।

बरामदगी :

- 01 अदद मोबाइल फोन (OPPO)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव
3. हे0का0 जगदीश प्रसाद सोनकर
4. म0का0 गरिमा सिंह, **थाना – निजामाबाद, जनपद – आजमगढ़**

प्रेस नोट

थाना – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़

दिनांक – 25.12.2025

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक **22.12.2025** को थाना जीयनपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक **16 वर्षीय नाबालिग बालिका** घर से बाहर जाने के बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के उपरांत भी कोई जानकारी न मिलने पर थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0 0522/2025**, धारा **137(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में **धारा 65(1)/87 बीएनएस तथा 4(2) पाक्सो एक्ट** की बढ़ोतरी की गई तथा अभियुक्त **साहिल पुत्र जालंधर**, निवासी रामपुर खजुरही, थाना घोसी, जनपद मऊ, उम्र करीब **20 वर्ष** का नाम प्रकाश में आया।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** के निर्देशन में, **अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)** एवं **क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल पर्यवेक्षण में, दिनांक **25.12.2025** को मुखबिर की सूचना पर थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को **मुबारकपुर तिराहे के पास** से समय करीब **11.05 बजे** गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे **माननीय न्यायालय** के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, थाना जीयनपुर
2. हे0का0 अवधनाथ यादव, थाना जीयनपुर
3. म0का0 पूजा यादव, थाना जीयनपुर

प्रेस नोट दिनांक 25.12.2025

थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दि0 24.12.2025 को वादिनी मुकदमा फूला देवी पत्नी लालचन्द सा0 दुबांवा, थाना दीदारगंज,जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के पड़ोसी 1-राजेन्द्र पुत्र गनपत, 2-पंकज, 3-गुलशन पुत्रगण राजेन्द्र एवं 4- शुभम पुत्र अज्ञात ग्राम भादो थाना दीदारगंज निवासी एकजुट होकर अचानक भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने के नियत से लाठी डंडा, राड़ एवं लात-घूसो से मारकर वादिनी, उसके बेटे एवं उसकी बहु को घायल कर दिये । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 332/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109 बीएनएस बनाम 1. राजेन्द्र पुत्र गनपत 2. पंकज 3. गुलशन पुत्रगण राजेन्द्र निवासीगण दुबावा थाना दीदारगंज आजमगढ़ 4. शुभम पुत्र अज्ञात ग्रा0 भादो थाना दीदारगंज। पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 25.12.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम राजभर पुत्र जीतेन्द्र राजभर उम्र 22 वर्ष निवासी भांदो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को भांदो मोड मार्टिनगंज से समय करीब 8.25 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किया गया तथा अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त– शुभम राजभर पुत्र जीतेन्द्र राजभर उम्र 22 वर्ष निवासी भांदो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव, 2. हे0का0 तेरसू यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।